मोहन सिंह / सरपंच 08/2022 G cas. 2022/288

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)
राजस्व मुकदमा संख्या ............
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

03/08/23
वकुलाय अनुपस्थित। आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपस्थित/स्थगन रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 10/08/23 को पेश हो।

रीडर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

Remand order

10/08/23
पत्रावली पेश हुई।
वकुलाय उपस्थित।
अपीलार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि
उक्त अपील स्वीकार करनामा नामान्तरण
अपास्त किया जावे। रेस्पोंडेंट अधिवक्ता ने
बहस में बताया कि विधिक वारिसान अनुसार
जांच कर पुनः नामान्तरण करा जावे।
बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।
बहस एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात
ग्राम पंचायत [illegible] का नामान्तरण संख्या
248 दिनांक 05.07.22 को अपास्त किया जाकर
तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ
पत्रावली प्रेषित की जाती है कि नामान्तरण के संबंध
में दस्तावेज/विधिक वारिसान की विस्तृत जांच
कर नियमानुसार गुण-अवगुण के आधार पर पुनः
नामान्तरण की कार्यवाही के आदेश दिये। पत्रावली फैसल शुमार
जाते मे तहरीर जारी हो
होकर नम्बर से कम हो

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

## न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 08/2022

प्रकरण दर्ज तिथि :— 13.09.2022

जीसीएमएस नम्बर :— 2022/288

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| 1. मोहनसिंह पुत्र निम्बसिंह<br>2. पुनमसिंह पुत्र निम्बसिंह<br>3. अणचीदेवी पत्नि निम्बसिंह जातिगण रावत निवासीगण कालबकलां | | 1. सरपंच ग्राम पंचायत कालबकलां तहसील रायपुर<br>2. सोहनसिंह पुत्र खींमसिंह<br>3. गाजीसिंह पुत्र भंवरसिंह<br>4. रोडसिंह पुत्र भंवरसिंह<br>5. सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह<br>6. धुलीदेवी पत्नि भंवरसिंह<br>7. मूलसिंह पुत्र प्रेमसिंह<br>8. पुनमसिंह पुत्र प्रेमसिंह<br>9. मंगलसिंह पुत्र पन्नासिंह<br>10.लक्ष्मणसिंह गोदपुत्र रामसिंह<br>11.डाली पुत्री रामसिंह<br>12.झूमी पुत्री रामसिंह<br>जातिगण रावत निवासीगण कालबकलां |

**अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 248 दिनांक 05.07.1975**

उपस्थितः— 1 श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता अपीलान्ट

2 श्री जसवंत सिंह सांखला रेस्पोडेन्ट संख्या 09 एवं 12 एवं शेष अनुपस्थित

**दिनांक :—10.08.2023**

## निर्णय

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन ने अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 248 दिनांक 05.07.1975 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट न्यायालय में पेश किया गया है। अपील का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कालबकलां पटवार हल्का कालबकलां भू अभिलेख निरीक्षक बर के खसरा संख्या 978, 979, 983 रकबा 1.9021 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 949 रकबा 2.8895 है तथा 836, 841, 843, 925, 927, 928, 930 का रकबा 1.1087 है तथा खसरा नम्बर 837 रकबा 0.0890 है. एवं खसरा नम्बर 103 रकबा 2. 1448 हैं. तथा खसरा संख्या 26,37,38,39 का रकबा 0.5019 है. तथा खसरा नम्बर 230 231 234 रकबा 0.5342 है. तथा खसरा संख्या 233 रकबा 0.3480 है. आराजीयात स्थित हैं। जिसकी जमाबंदी संवत् 2075—2078 अपील के साथ संलग्न हैं जिसे अपील का मुख्य भाग माना जावें। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पूर्व मउें अपीलान्ट के दादा/ससूर जेतसिंह पि रतनसिंह खातेदार काश्तकार थें, जिसकी पुष्टी जमाबंदी संवत् 2011—2030 से होती हैं जिसकी प्रमाणि प्रति संलग्न हैं। जिसमें जेतसिंह पि रतनसिंह दर्ज जमाबंदी हैं। अपीलान्ट के दादा जेतसिंह पि. रतनसिंह के फौत होने पर उनका ग्राम कालबकलां पटवार हल्का कालबकलां के राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 248 भरा गया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपील के साथ संलग्न हैं, जिसे अपील का अभिन्न अंग माना जावें। जेतसिंह पि. रतनसिंह की मृत्यु पश्चात् तथा पूर्व से ही अपीलान्ट का उपरोक्त वर्णीत आराजीयात पर शामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा उपरोक्त वर्णीत आराजीयात का शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, जेतसिंह पि. रतनसिंह की मृत्यु पश्चात् उनका कालबकलां के राजस्व रेकर्ड में फौतदगी दाखिल खारिज संख्या 248 खोला गया, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 12 के पूर्वज के नाम ही भरा गया व ग्राम पंचायत कालबकलां द्वारा स्वीकृत किया गया और जमाबंदी में अमल दरामद किया गया हैं। जेतसिंह पि रतनसिंह के विधिक वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडन्ट संख्या 01 से 10 हैं जबकि नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 11 से 13 के पूर्वज रामसिंह के नाम भी भरा गया जो कानूनन गलत हैं। पटवारी एवं सरपंच द्वारा बिना जांच हीं नामान्तरकरण भरा गया हैं जो कानूनन गलत हैं जिसे सुधारा जाना आवश्यक हैं। अपीलाधीन नामान्तरण मे पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से शुन्य है इसलिये उसे चुनोति देने मे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील को समय अवधि में माना जावे ।अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा ग्राम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

कालबकलां मे होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे है। अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन नामान्तरण ग्राम कालबकलां पटवार हल्का कालबकलां के नामान्तरण सं. 248 दिनांक 05.07.1975 मे पारित संरपच ग्राम पंचायत कालबकलां के द्वारा पारित आदेश खारीज को निरस्त करने का आदेश पारित करे।उसकी जाॅच कर नियमानुसार नामान्तरण पुनः भरने के आदेश करावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज़ रजिस्टर्ड की गयी। रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 से 08 एवं 10 11 के नोटिस तलबी के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 09 एवं 12 अपना जबाव नहीं देना चाहते है। एवं बहस में बताया कि विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरणकी कार्यवाही की जावें। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की। वकील अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट से अपील पर बहस सुनी एंव दिये गये तर्को का मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् नामान्तकरण संख्या ग्राम कालबकलां पटवार हल्का कालबकलां के नामान्तरण सं. 248 दिनांक 05.07.1975 को निरस्त (रद्व) किया जाना न्यायोचित समझते है।

## आदेश

अपीलार्थी की अपील, अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत कालबकलां द्वारा निस्तारित नामान्तकरण संख्या 248 दिनांक 05.07.1975 को अपास्त किया जाकर ,तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि उक्त नामान्तरकरण के संबंध में दस्तावेज/विधिक वारिसान की विस्तृत जांच कर नियमानुसार गुण–अवगुण के आधार पर पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रायपुर को आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेश कुमार)
**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)**

यह निर्णय आज दिनांक 10.08.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)**